अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी हैं। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एकपक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेश पर विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवंम अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 14.07.2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

14/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 11/9/25 को पेश हो।
11/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थिति, पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त हैं/भ्रमण पर हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 25/11/25 को पेश हो। रीडर
29/9/25	पत्रावली वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर जल्द सुनवाई हेतु तलब की गई। प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा हो चुका है। प्रार्थिया की पहचान वकील वादी द्वारा की गई। अत: प्रार्थिया इस प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाना चाहती है। इसी [illegible] पर [illegible] पत्र लिख कर निस्तारित [illegible] है। पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.09.29 16:14:48 IST
Reason: SelfAttested